मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 13 अगस्त, 1997 (श्रावण 22, 1919)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उपलोक आयुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 12 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उपलोक आयुक्त का पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 1996-97), लोक आयुक्त संगठन का पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 व्याख्यात्मक ज्ञापन तथा मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उपलोक आयुक्त के पन्द्रहवें वार्षिक प्रतिवेदन के अंग्रेजी अंश का हिन्दी रूपान्तर पटल पर रखेंगे.

(2) श्री रविन्द्र चौबे, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार :-

(क) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96,

(ख) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96, तथा

(ग) डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर का अंकेक्षण प्रतिवेदन (प्रत्युत्तर सहित) वित्तीय वर्ष 1994-1995 तथा वार्षिक लेखा वर्ष 1995-96 (दिनांक 1 अप्रैल, 1995 से 31 मार्च, 1996 तक),

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल के बी.एच.ई.एल. कारखाने में विद्युत बल्व फटने से दो श्रमिकों की मौत होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. ढालसिंह बिसेन, श्री गौरीशंकर बिसेन, सदस्य, सिवनी जिले में वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री मांगीलाल भण्डारी, सदस्य, राजगढ़ जिले के कुरावर मण्डी स्थित मन्दिर के पुजारी की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री मुनीराम साहू, सदस्य, बिलासपुर जिले के अचानकमार अभ्यारण्य क्षेत्र में मोहलाइन-पत्ता के परिवहन पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) लाल विजय प्रताप सिंह, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति का अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्रीमती जून चौधरी, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का षष्ट्म प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

(3) श्री अम्बिका प्रसाद शुक्ला, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 115 से 123 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

-2-

5. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री घनश्याम पाटीदार, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"शासकीय आवासों के आवंटन एवं उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करने विषयक समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाय."

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के -

(क) ग्राम जूनापानी, डुंगरिया, ऊंचाखेड़ा, कुकरा, समनापुर, इमलिया, कटक तथा रबरा में विद्युतीकरण कराये जाने,

(ख) ग्राम भोजपुर में विद्युतीकरण कराये जाने,

(ग) ग्राम मुड़िया चम्पत में विद्युतीकरण कराये जाने, तथा

(घ) ग्राम तिनसुआ तथा मदनी में विद्युतीकरण कराये जाने, एवं

(2) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, राजधानी भोपाल के सुभाष चौक प्रभात पेट्रोल पम्प से अशोका गार्डन तक सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जसवन्त सिंह, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 29 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय 30 मि.

(2) श्री जसवन्त सिंह, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 29 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि.

(1) प्रदेश में हीरे की उपलब्धता, आंकलन, उत्खनन एवं विक्रय के संबंध में सर्वश्री विक्रम वर्मा, बृजमोहन अग्रवाल एवं श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

1 घन्टा 30 मि.

(2) मध्यप्रदेश के कृषकों की अधिगृहीत भूमि के लम्बित मुआवजा प्रकरणों के संबंध में श्री घनश्याम पाटीदार तथा श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक 12 अगस्त, 1997

के.पी.तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा